# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
# पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 67/2023
जीसीएमएस सं. – 2023/126

प्रार्थी :
गिरधारीराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. खेमाराम पुत्र जालुराम
2. सम्पतराज पुत्र हापुराम निवासीयान साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
3. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित अधिवक्ता
श्री रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी सं. 2 स्वयं उपस्थित

## निर्णय

दिनांक : 27.09.2023

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 2128 रकबा 2.3866 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 में आने जाने हेतु साथीन से पीपाड़ शहर–कोसाणा जाने वाली डामर सड़क से मिलाने वाले गै.मु.कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2101 से पूरब तरफ अप्रार्थीगण सं. एक, दो के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2126 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 में आने जाने का निकटतम व सुलभतम रास्ता हैं जिस रास्ता को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वादग्रस्त रास्ता को मार्क ए, बी, सी, डी, से दर्शाया गया हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। साथीन से पीपाड़ शहर–कोसाणा जाने वाले सड़क तक मिलने वाले गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2101 से पूरब तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2126 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 तक आने जाने का सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता हैं इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. एक व दो से दिनांक 04.05.2023 को संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार गै.मु.कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2101 से पूरब तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2126 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 तक 30 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु कहा तथा प्रार्थी ने डीएलसी से रकम अप्रार्थी को देने बाबत् कहा इस पर अप्रार्थी सं. एक व दो ने साफ

अधिकारी
ड़ शहर

तौर पर मना कर दिया तथा गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2101 से पूरब तरफ अप्रार्थीगण सं. एक व दो की भूमि खसरा नम्बर 2126 में से पूरब तरफ स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 में आने जाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थी को गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2101 से पूरब तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2128 में से पूरब तरफ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 तक संलग्न नजरी नक्शा में लालस्याही से दर्शाये मार्क ए, बी, सी, डी, रास्ता 30 फीट चौड़ाई में रास्ता घोषित कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। गै. मु. कटाणी रास्ता से पूरब तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2126 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 तक वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, रास्ता घोषित फरमावें एवं राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी रास्ता वाली जमीन की डीएलसी दर से अप्रार्थी सं. एक व दो को रूपये अदा करने को तैयार हैं। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन व आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम साथीन चक द्वितीय की राजस्व सीमा में साथीन से पीपाड़ शहर–कोसाणा सड़क तक मिलाने वाले गै.मु.कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2101 से पूरब तरफ अप्रार्थीगण सं. एक व दो के खेत खसरा नम्बर 2126 में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2128 तक वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता घोषित फरमावें व राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमावें। गै.मु.कटाणी रास्ता से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी से होकर प्रार्थी के खेत मे आने जाने में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें न किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने स्वयं ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया.। अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं कि वादी ने अपने खेत खसरा नम्बर 2128 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2126 में से बिन्दु ABCD से मांग की जो निम्नानुसार है, खसरा नम्बर 2126 रकबा 4.4900 हैक्टयर खेमाराम पुत्र जालुराम 1/2 जाति जाट, सम्पतराज पुत्र हापुराम 1/2 जाति खाती रा. देह के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। खसरा नम्बर 2126 राजस्व रिकार्ड अनुसार एक ही खसरा हैं। खसरा नम्बर 2126 वर्तमान में मौके पर चार भागो में विभाजित हैं। वादी ने बिन्दु ABCD खसरा नम्बर 2126 के बीच में से रास्ता मांगा

अध्यक्ष अधिकारी
पीपाड़ शहर

जो वर्तमान में मौके पर सम्पतराज के कब्जे में हैं। बिन्दु सं. A से C की लम्बाई 44 गट्टे है। A से B की चौड़ाई वादी ने 30 फीट की मांग की जिसका रकबा 0.0809 हैक्टयर बनता हैं रास्ता के कुल रकबा बिन्दु सं. ABCD का 0.0809 हैक्टयर बनता हैं। पटवारी रिकार्ड अनुसार खरारानम्बर 2126 असिचित हैं तथा डीएलसी रेट 260394 प्रति हैक्टयर है । 0.0809 की रेट 21066 रूपये बनती हैं। खसरा नम्बर 2125 के दक्षिण मेड़ पर बिन्दु E से F, G से H मौके पर चल रहा हैं तथा दोनो तरफ कांटे की बाड़ की हुई हैं। जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हैं। बिन्दु E से G की लम्बाई 52 गट्टा तथा H से I की लम्बाई 14 गट्टा हैं कुल लम्बाई 66 गट्टा हैं। वादी की मांग अनुसार 30 फीट चौड़ाई से बिन्दु E,F,G,H,I,J का कुल क्षैत्रफल 0.15 बीघा 0.1214 बनता हैं। खसरा नम्बर 2125 के खातेदार उम्मेदराम 1/3, जयकिशन 1/3, मांगीलाल 1/3 पिता छोटाराम निवासी कागल के नाम दर्ज हैं उक्त खातेदार इस वाद में पक्षकार नही हैं तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2125 सिचित हैं। उपरोक्त के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं ।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए राजस्व ग्राम साथीन चक द्वितीय के खसरा नम्बर 2128, में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2126 में से लाल स्याही से दर्शाये मार्क एबीसीडी दिलाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित व अप्रार्थी सं. दो ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 अनुसार ग्राम साथीन के खसरा नम्बर 2128 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2126 लाल स्याही से दर्शाये मार्क A B C D दिया जाना प्रस्तावित हैं। जो सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है एवं कम दूरी का हैं। चूंकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 2126 अविभाजित भूमि हैं अतः उक्त खसरा नम्बर 2126 का माप चौप कर दोनो ही सहखातेदारान के हिस्से से उक्त भूमि कम की जाकर दोनो का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार राशि का भुगतान करना न्यायोचित होगा ।

खण्ड अधिकारी पीपाड शहर

अतः राजस्व ग्राम साथीन चक द्वितीय के खसरा नम्बर 2128 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण खेत खसरा नम्बर 2126 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट मार्क लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु सं. A B C D अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0809 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि

रूपये 21066/– रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 42132/– रूपये बनती है। प्रार्थी राशि 42132/– रूपये का डी.डी. अप्रार्थीगण के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 42132/– रूपये का डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण सं. 1, 2 को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर